कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ म.प्र.

क्रमांक.....03...../सा.अनु./2020   झाबुआ, दिनांक 23 मार्च, 2020

विविध कार्यालयीन आदेश

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के पत्र क्रमांक क्यू–2 दिनांक 22.03.2020 के अनुसार कोरोना वायरस की विश्वव्यापी महामारी के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट जिन जिलों में लॉक डाउन घोषित करते हैं, उन जिलों में दिनांक 23.03.2020 सोमवार एवं दिनांक 24.03.2020 मंगलवार को अकार्य दिवस (Non Working Days) घोषित किया गया है।

जिला दण्डाधिकारी, झाबुआ द्वारा जारी आदेश क्रमांक 194/जे.सी./2020 झाबुआ, दिनांक 22.03.2020 के द्वारा अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थायें दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 25.03.2020 तक की अवधि के लिए पूर्णतः बंद रखने के लिए आदेशित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से दिनांक 25.03.2020 का गुड़ी पड़वां का पूर्व से ही अवकाश है।

अतः मैं महेश कुमार शर्मा, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के उपरोक्त आदेश के परिपालन में झाबुआ जिले के समस्त न्यायालयों एवं कार्यालय तथा परिवार न्यायालय में दिनांक 23.03.2020 सोमवार एवं दिनांक 24.03.2020 मंगलवार के लिए अवकाश घोषित करता हूं। उपरोक्त घोषित किये गये अवकाश के दिवसों में रिमाण्ड कार्यवाही एवं जमानत आवेदन पत्रों तथा अत्यावश्यक कार्य के निराकरण हेतु निम्नानुसार न्यायिक अधिकारियों की ड्यूटी लगायी जाती हैः–

मुख्यालय झाबुआ

अनु क.	दिनांक	अपर सत्र न्यायाधीश	न्यायिक मजिस्ट्रेट
1	23.03.2020	श्री सुनील कुमार मालवीय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, झाबुआ	श्री गौरव प्रज्ञानन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाबुआ
2	24.03.2020	श्री आर.के.देवलिया, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ	श्री राजेन्द्र बर्मन, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, झाबुआ

तहसील मुख्यालय थांदला

अनु क.	दिनांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट
1	23.03.2020	सुश्री पूजा गोले, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, थांदला
2	24.03.2020	श्रीमती ऋतुश्री गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, थांदला

तहसील मुख्यालय पेटलावद

अनु क.	दिनांक	अपर सत्र न्यायाधीश	न्यायिक मजिस्ट्रेट
1	23.03.2020	श्री जे.सी.राठौर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पेटलावद	श्री संजीव कटारे, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पेटलावद
2	24.03.2020	श्री जे.सी.राठौर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पेटलावद	श्री एस.पी.एस. राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पेटलावद

यह भी आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त नामांकित न्यायिक अधिकारीगण उक्त अवकाश अवधि में दोपहर 3 से 5 बजे तक अपने स्टाफ सहित न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त वर्णित कार्य सम्पादित करेंगे।

दिनांक 25.03.2020 के सार्वजनिक अवकाश में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पूर्व के निर्देश के अनुसार संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्युटी की जावेगी।

sd/

(महेश कुमार शर्मा)
प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
झाबुआ म.प्र.

पृष्ठां.क्रमांक....04.../सां.अनु./2020 झाबुआ, दिनांक 23.03.2020

प्रतिलिपिः—

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर उक्त सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, झाबुआ की ओर सभी संबंधितों को ई—मेल किये जाने हेतु प्रेषित।
7. जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
8. पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. अधीक्षक, जिला जेल, झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
10. शासकीय अभिभाषक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी,झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
11. संचालक, जन सम्पर्क विभाग, भोपाल की ओर समाचार—पत्रों में प्रकाशनार्थ।
12. प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायालय, झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

23.03.2020

(महेश कुमार शर्मा)
प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
झाबुआ म.प्र.